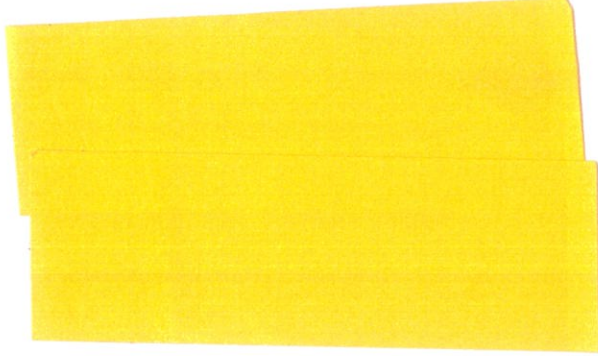


केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग /Baba Gangnath Marg
मुनिरका / Munirka,
नई दिल्ली-११००६७ / New Delhi-110067

No.3/1/2018/Admin./CIC/ST/00357

Dated: 4.05.2018



विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक १२.३.२०१८ का आवेदन इस अनुभाग में ६.४.२०१८ को आर टी आई अनुभाग से प्राप्त हुआ के माध्यम से वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रकित हैं:-

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) की सहायता से संबंधित अनुभाग से पत्र संख्या No.3/2/2018/Admin./CIC/ST/0100357 के तहत अनुरोध किया गया था। संबंधित अनुभाग से प्राप्त उत्तर इसके साथ संलग्न है।

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं।

सविता 4/5/18
(सविता तलूजा)

अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति: ,केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, RTI CELL



केन्द्रीय सूचना आयोग

Central Information Commission

बाबा गंगनाथ मार्ग , मुनिरका/Baba Gangnath Marg, Munirka

नई दिल्ली -110067/New Delhi - 110067

फा. सं. 3/3/2018./प्र./के.सू.आ

दिनांक: 03.05.2018

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के तहत श्री परवेज अहमद के आर टी आई आवेदन नं. CICOM/R/2018/00357 दिनांक 25.04.2018 के सन्दर्भ में।

आपके पत्र सं. 3/2/2018/Admin./CIC/357/1/ST दिनांक 03.05.2018 के सन्दर्भ के सम्बन्ध में वांक्षित सूचना निम्नानुसार है :-

बिंदु	सूचना
5.	बिंदु 5 के सम्बन्ध में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है।

जाति भिन्न भेद
(एस. पी. बेक) 03.05.18

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) & केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी।